जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 22-09-2021**

आज दिनांक 22.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गयी कार्यवाही के अन्तर्गत 15 शीशी अवैध देशी शराब बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 15 शीशी अवैध देशी शराब बंटी बब्ली प्रत्येक की धारिता 200ML के साथ अभियुक्त नाम पता शंकर गौड़ पुत्र कन्हैया निवासी आजाद नगर मगहर टोला मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 265 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- प्रभारी चौकी प्रभारी चौकी मगहर उ0नि0 श्री हरिनारायण दीक्षित, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 जुबेर अली।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2546 द्वारा दो पक्षों में हो रहे विवाद / मारपीट को कराया गया शान्त – पीआरवी 2546 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत दौलतपुर से इवेन्ट संख्या 07501 से कालर ने दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 रमेश सिंह यादव, आ0 शुभम कुमार गुप्ता, हो0चा0 राकेश गुप्ता।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 79 वाहनो से 68500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 79 वाहनो से 68500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।